Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to ensure availability of life-saving drugs at affordable price

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): जीवन में अत्यावश्यक औषधियों की बिक्री में अत्यधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं औषधियाँ, जिनकी कीमतें आम जनता की पहुँच में नहीं होती हैं। शैड्यूल एंव नानशैड्यूल ड्रग्स की अधिकतम कीमत (एम.आर. पी.) दवाईयों की उत्पादन कीमत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने से दवा मूल्य नियंत्रण होने के बावजूद भी एक ही दवाई की कीमतें अलग-अलग निर्धारित होती हैं। अधिकतम दवाईयों ब्रांड नेम से डाक्टर्स से लिखवाकर अधिक दाम पर बेची जाती है। जबकि ट्रेड नेम से ही दवाई बेचना अनिवार्य होना चाहिए। दवाईयां सस्ते दामों में बिक सकती है। तथा सामान्य जनों को, गरीबों को कम दरों में उपलब्ध हो सकती हैं। डॉक्टर के द्वारा जो दवाइयाँ लिखी गई हैं वो No Substitute के नियमानुसार बदलने पर पाबंदी है, जबकि मेडिकल स्टोर चलाने वाले औषधि निर्माण शास्त्र D. Pharmacy/B.Pharmacy स्नातक योग्यता रखते हैं। तथा दवाइयों की इन्हें पूरी जानकारी रहती है। लेकिन कैमिस्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने अनुभवों के आधार पर मरीज के लिए कम कीमत की दवाईया चुन सके। इसलिए दवाईयों की बिक्री F.D.A. लाइसेंस के मुताबिक ही देना चाहिए क्योंकि सीधे डॉक्टर सप्लाइ एंव हॉस्पिटल सप्लाइ से दवाओं के मूल्य में काफी अंतर आता है।

अत: जनहित में मेरा अनुरोध है की आम जनों तक हर गंभीर बीमारी की औषधियाँ सस्ती और सुगमता से उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार नियमों में शिथिलता लाते हुये आवश्यक कदम उठाए।